169

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BK 189674

शपथ–पत्र

प्रारूप–सी–2

1	2	3	4		5		
क्रं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(अ) लंबित आपराधिक मामले		(ब) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्ध के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम एवं मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराऐं और अपराध (अपराधी) का संक्षिप्त विवरण	न्यायलय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख	अपराध (धों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण	अधिकतम आरोपित सजा
1	169, कालापीपल	कुणाल चौधरी	(1) न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला भोपाल (श्री विधान माहेश्वरी) एससी पीपीएम 184/2021 धारा 147, 152, 186 भा.द.वि. / विचाराधीन (2) चालान प्रस्तुत नहीं धारा 147, 188 भा.द.वि. (3) न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला भोपाल (श्री विधान माहेश्वरी) एससी पीपीएम 147/2019 धारा 341, 147, 336 भा.द.वि./	(1) धारा 147 भा.द.वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 152 भा.द.वि. – लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

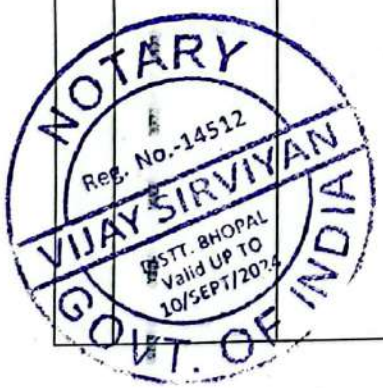

3451
50
23.10.2023

कुणाल चौधरी पुत्र. श्री कैलाशचंद्र चौधरी निवासी ..... गृह संख्या 49/1, टपरा मोहल्ला, कालापीपल मण्डी, तहसील–कालापीपल जिला शाजापुर

वास्ते शपथ पत्र बावत्

मीना सिंह
स्टाम्प वैण्डर
नेहरू नगर, भोपाल, म.प्र.

			विचाराधीन (4) न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला भोपाल (श्री विधान माहेश्वरी) एससी पीपीएम 142/2019 धारा 147, 341 भा.द.वि./ विचाराधीन (5) न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला भोपाल (श्री विधान माहेश्वरी) एससी पीपीएम .–159/2019 धारा 147, 353 भा.द.वि./ विचाराधीन (6) न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला भोपाल (श्री विधान माहेश्वरी) एससी पीपीएम 146/2019 धारा 147, 149, 341, 427, 451 भा.द.वि./ विचाराधीन (7) न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला भोपाल (श्री तथागत यागनिक) आर.सी.टी. क. 3200214/2015 धारा 147, 332, 353, 188 भा.द.वि. / विचाराधीन	(संज्ञेय, जमानतीय एवं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 186 भा.द.वि. – लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना (असंज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), (2) धारा 147 भा. द.वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 188 भा.द.वि. –लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित ओदश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करें (संज्ञेय, अजमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) (3) धारा 147 भा. द.वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 341 भा.द.वि. किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) धारा 336 भा.द.वि. – कोई कार्य करना जिससे			

NOTARY
Reg. No.-14512
VIJAY SIRVIYAN
DISTT. BHOPAL
Valid UP TO
10/SEPT/2024
GOVT. OF INDIA

				मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), (4) धारा 147 भा. द.वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 341 भा.द.वि. किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) (5) धारा 147 भा. द.वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 353 भा.द.वि. – लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (संज्ञेय, अजमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) (6)धारा 147 भा.द. वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 149 भा.द.वि. –यदि विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर अन्य सदस्य उस			

NOTARY
Reg. No.-14512
VIJAY SIRVIYAN
DISTT. BHOPAL
Valid UP TO
10/SEPT/2024
GOVT. OF INDIA

				अपराध का दोषी होगा (अन्य अपराध के अनुसार संज्ञेय अथवा असंज्ञेय, अजमानतीय अथवा जमानतीय एवं अन्य अपराध के साथ संबंधित न्यायालय में विचारणीय) धारा 341 भा.द.वि. किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) धारा 427 भा.द.वि. –रिष्टि और तद्द्वारा पचास रूपए या उससे अधिक रकम का नुकसान कारित करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 451 भा.द.वि.–कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचारा (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) (7) धारा 147 भा. द.वि.– बलवा करना (संज्ञेय, जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय), धारा 332 भा.द.वि. –लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना (संज्ञेय,			

NOTARY
Reg. No.-14512
VIJAY SIRVIYAN
DISTT. BHOPAL
Valid UP TO
10/SEPT/2024
GOVT. OF INDIA

				अजमानतीय एवं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) धारा 353 भा.द.वि. – लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमा या आपराधिक बल का प्रयोग (संज्ञेय, अजमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय) धारा 188 भा.द.वि. –लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित ओदश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करें (संज्ञेय, अजमानतीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय)			

IDENTIFIED BY ME
Rahul Verma
Kailash Nagar W.O Bairagarh
Bhopal

शपथ ग्रहिता

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME BY THE WITHIN NAMED

VIJAY SIRVIYYAN
ADVOCATE & NOTARY
12L4 OCT 2023

NOTARY
Reg. No.-14512
VIJAY SIRVIYAN
DISTT. BHOPAL
Valid UP TO
10/SEPT/2024
GOVT. OF INDIA